128

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/ 14332/1010 दिनांकः– 06.03.2013

DS(S)

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

11 MAR 2013

महाशय,

नगर पंचायत मखदुमपुर के वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 449/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर प्रेषित करवाने का कष्ट करें, साथ ही पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन भी प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,
06/03/13
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
चबिहार, पटना

1345 12/3/13

13/3

47
14/8/13

(127)

नगर पंचायत मखदुमपुर
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–449/12–13
(अवधि– 2009–10 से 2011–12 तक)

1 **प्रस्तावना**

मखदुमपुर नगर पंचायत के वर्ष 2009–10 से 2011–12 के लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 01.10.12 से 03.10.12 एवं 18.10.12 से 26.10.12 तक की अवधि में किया गया।

2. **प्रशासन**

कम सं0	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री जितेन्द्र प्र0 साह	01.04.09से 11.04.10
2	श्री द्वारका चौधरी	12.04.10 से 30.09.11
3	रिक्त	01.10.11 से 07.10.11
4	श्री जनार्दन प्रसाद	08.10.11 से 31.03.12

मुख्य पार्षद

1	श्रीमती सरोज भारद्वाज	01.04.09 से 31.03.12

उप मुख्य पार्षद्

1	श्रीमती रेणुका देवी	01.04.09 से 31.03.12

3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

लेखा परीक्षा में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट – I तथा लेखा परीक्षा में उपस्थापित नहीं किए अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिषट II में दी गयी है।

4 पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

लेखा परीक्षा के दौरान अनुरोध करने के बावजुद भी पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन, लेखा परीक्षा में उपस्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखा परीक्षा दल द्वारा नहीं की जा सकी।

126)

5 प्रमुख लेखा परीक्षा उपलब्धियाँ

क्रम सं0	कंडिका सं0	विवरण
1	12	₹1253590/-का निधि विचलन
2	13	सैरातों की बन्दोवस्ती में बन्दोबस्तदार पर बकाया ₹223078.75/-
3	15	वाहन प्रवेश बंदोबस्ती में अनियमिततायें ₹232908/-
4	17	कम जमा ₹23630/-
5	18	मोबाईल टावर मालिक पर ₹878000/- वकाया।
6	21	बिलंब निस्पादित कार्यो पर क्षतिपूर्ति राशि ₹398480/- वसूल नहीं किया जाना।

6 आंतरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली,1928 के नियम 20, 30 तथा 36 एवं रिकवरी ऑफ टैक्स नियमावली 1951 के नियम 37 एवं 39 आदि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस कार्य हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आंतरिक जाँच के प्रावधान हैं। नियमावली में दी गयी जाँच प्रक्रिया का उद्देश्य लेखा परीक्षा के समुचित संधारण तथा समन्वयन के साथ – साथ त्रुटियाँ एवं अनियमितताओं का निराकरण करना है।

नगर पंचायत के अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि उपरोक्त नियमावली में वर्णित जाँच नहीं की गयी, जिसके कारण अनेक अनियमितताएँ पायी गयी। इनकी विवेचना आगे की कंडिकाओं में की गयी है।

निश्चित अन्तराल पर अगर नगर पंचायत पदाधिकारियों द्वारा उक्त जाँच प्रक्रिया अपनायी गयी होती तो लेखा परीक्षा के क्रम में पायी गयी त्रुटियाँ नहीं होती।

अतः नगर पंचायत प्रशासन से यह अनुरोध है कि आंतरिक जाँच प्रक्रिया का पालन नियमित रूप से किया जाय ताकि भविष्य में अनियमितताओं/त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो।

125

7.आय–व्यय

नगर पंचायत मखदुमपुर, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के अनुदान एंव ऋण तथा स्वयं के आय श्रोतों से वित्त सम्पोषित होती है। वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक का वार्षिक आय– व्यय लेखा नगर पंचायत द्वारा तैयार नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक आय–व्यय की स्थिति का पता नहीं चल सका। नगर पंचायत मखदुमपुर द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पी0 एल0 खाता का रोकड़ बही एंव अन्य सहायक रोकड़ बहियों के वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के आय–व्यय की स्थिति निम्नलिखित पायी गयीः–

1 पी0 एल0 खाता रोकड़ बही

विवरण ↓ / वर्ष →	2009–10	2010–11	2011–12 (01.04.11 से 28.08.11)
1 प्रारंभिक शेष	14420	2588055	10539178
2 आय	2756285	8143384	शून्य
3 कुल	2770705	10731439	10539178
4 व्यय	182650	192261	1991464
5 अन्त शेष	2588055	10539178	8547714

दिनांक 28.08.11 को पी0 एल0 खाता (खाता सं0 8448001020001) का अन्तशेषः– ₹85,47,714

दिनांक 31.03.12 को पी0 एल0 खाता रोकड़ बही का अन्तशेषः– ₹85,47,714

124

2. 12 वीं वित्त आयोग

वर्ष → / विवरण ↓	2009–10	2010–11	2011–12
1 प्रारंभिक शेष	129379	114793	2517264
2 आय	–	–	–
क अनुदान	शून्य	3560651	1200000
ख ब्याज	शून्य	शून्य	3354
ग अन्य	शून्य	शून्य	शून्य
3 वर्ष की आय	शून्य	3560651	1203354
4 कुल आय	129379	3675444	3720618
5 व्यय	14586	1158180	1795813
6 अन्त शेष	114793	2517264	1924805

3. पेय जल आपूर्ति

वर्ष → / विवरण ↓	2009—10	2010—11	2011—12
1 प्रारंभिक शेष	161640	88180	53180
2 आय	—	—	—
क अनुदान	शून्य	शून्य	760000
ख ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य
ग अन्य	शून्य	शून्य	शून्य
3 वर्ष की आय	शून्य	शून्य	760000
4 कुल आय	161640	88180	813180
5 व्यय	73460	35000	333540
6 अन्त शेष	88180	53180	479640

4. **पथ जिर्णोद्वार**

वर्ष → विवरण ↓	2009–10	2010–11	2011–12
1 प्रारंभिक शेष	4882676	4882676	2955722
2 आय	–	–	–
क अनुदान	शून्य	2000000	शून्य
ख ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य
ग अन्य	शून्य	शून्य	शून्य
3 वर्ष की आय	शून्य	2000000	शून्य
4 कुल आय	4882676	6882676	2955722
5 व्यय	शून्य	3926954	1248117
6 अन्त शेष	4882676	2955722	1707605

5.बी0 आर0 जी0 एफ0

वर्ष → / विवरण ↓	2009—10	2010—11	2011—12
1 प्रारंभिक शेष	822895	4677237	5250933
2 आय	—	—	—
क अनुदान	4210950	1932596	3356394
ख ब्याज	शून्य		
ग अन्य	शून्य		460050
3 वर्ष की आय	4210950	1932596	3816444
4 कुल आय	5033845	6609833	9067377
5 व्यय	356608	1358900	4560965
6 अन्त शेष	4677237	5250933	4506412

लेखा परीक्षा आपत्तियाँ :—

1. पी0 एल0 खाता रोकड बही दिनांक 28.08.11 तक संधारित पायी गयी। पी0 एल0 खाता रोकड बही में आय—व्यय शीर्षो का वर्गीकरण नहीं किया गया था।
2. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत सभी छः बैंक खाताओं से सभी योजनाओं से संबंधित लेन—देन किया गया था।
3. नगर पंचायत मखदुमपुर द्वारा संधारित रोकड़ बहियों में बैंक द्वारा प्रदत्त ब्याज का रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं पाया गया।
4. 12 वीं एवं 13 वीं वित्त आयोग निधि का एक ही रोकड़ बही में संधारण किया गया था।

लेखा परीक्षा अनुपालन :–

उपर्युक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के अंनुपालन में नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित बिन्दुवार जवाब दिया गया :–

1 पी0 एल0 खाता रोकड बही दिनांक 28.08.11 के आगे संधारित कर ली जायगी।

2. पी0 एल0 खाता रोकड बही में आय – व्यय शीर्षों का वर्गीकरण कर लिया जायेगा।

3. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत सभी छः बैंक खातों से सभी योजनाओं से संबंधित लेन–देन किया गया था, परन्तु भविष्य में प्रत्येक योजना का अलग–अलग बैंक खाता का संधारण किया जायगा।

4.बैंक द्वारा प्रदत्त ब्याज का रोकड़ बही में प्रविष्टि कर लिया जायेगा।

5 .12 वीं एवं 13 वीं वित्त आयोग निधि क़ा एक ही रोकड़ बही का संधारण किया गया था। क्योंकि दोनो एक तरह की योजना थी।

अतः लेखा परीक्षा आपत्तियों में बतायी गयी कमियों/त्रुटियों का सुधार कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

8.अन्त शेष

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रोकड़ बहियों का दिनांक 31.03.12 का अन्त शेष निम्न पायी गयीः–

कम सं0	रोकड़ बही का नाम	अन्तशेष
1	पी0 एल0 खाता	8547714 (28.08.11)
2	12 वीं वित्त	1924805
3	पेय जल आपूर्ति	479640
4	पथ जिर्णोद्वार	1707605
5	बी0 आर0 जी0 एफ0	4506412
कुल		17166176

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक खाता का दिनांक 31.03.12 का अन्त शेष निम्न पायी गयीः–

कम सं0	बैंक का नाम एंव खाता सं0	अन्तशेष
1	स्टेट बैंक ऑफ ईण्डिया, मखदुमपुर, खाता सं0 31689063331	408875
2	बैंक ऑफ इंण्डिया, मखदुमपुर, खाता सं0	39000

	447810110002054	
3	स्टेट बैंक ऑफ ईण्डिया, मखदुमपुर, खाता सं0 31689062598	298308
4	पी0 एन0 बी0, मखदुमपुर, खाता सं0 1615000100023906	4787681
5	पी0 एन0 बी0, मखदुमपुर, खाता सं0 1615000100048516	960053
6	मध्य बिहार ग्रामिणं बैंक, मखदुमपुर, खाता सं072050100104031	205946
7	पी0 एल0 खाता	8547714 (28.08.11)
कुल		15247577

अन्तर = ₹1918599.00(17166176–15247577)

अन्तर का बैंक समाधान बिबरणी तैयार लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत किया गया।

लेखा परीक्षा आपत्ति के अनुपालन में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि अन्तर का बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा।

अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

9: **अनुदान पंजी**

नगर पंचायत, मखदुमपुर द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया, जिसके कारण पूर्व वर्ष की अव्ययित अनुदान, वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान, अनुदान का व्यय एवं वर्षान्त पर अव्ययित अनुदान राशि की वास्तविक स्थिति पता नहीं चल सका।

लेखा परीक्षा आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जायेगा।

अतः अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

10.योजना पंजी

नगर पंचायत, मखदुमपुर द्वारा योजनाओं से संबंधित योजना पंजी का संधारण अधूरा किया गया था, जिसके कारण प्रत्येक योजना में व्यय की गयी राशि का सही–सही पता नहीं किया जा सका।

लेखा परीक्षा आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि योजना पंजी का संधारण अधूरा है जिसे पूरा कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जायेगा।

अतः योजना पंजी का संधारण कर योजनाओं की भौतिक स्थिति का विवरणी अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

11. श्रम सेस

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्धसरकारी पत्र सं0 B.C.W.C. 01/2008 द्वारा राज्य के सभी विभागों को सूचित किया गया था कि राज्य के श्रमिकों के कल्याण हेतु कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है तथा 2007–08 से सभी योजनाओं की लागत का एक प्रतिशत सेस इस बोर्ड में जमा किया जाना निर्देशित था। लेकिन नगर पंचायत, मखदुमपुर द्वारा वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक में कार्यान्वित योजनाओं में उनका प्रावधान अथवा वसूली नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि श्रम सेस कटौती हेतु कोई निर्देश प्राप्त नहीं रहने के कारण श्रम सेस की कटौती नहीं की गयी।

नगर पंचायत का जबाव मान्य नहीं है, क्योंकि इस संबंध में राज्य के सभी विभागों को सूचित किया जा चूका है। अतः श्रम सेस की कटौती की जाय एवं उसे सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

12.निधि का विचलन–₹21.54 लाख

बी0 आर0 जी0 एफ0 मद के वर्ष 2010–11 के रोकड़ बही एंव बैंक पास बुक के जॉच में पाया गया कि इस मद से संचालित योजनाओं में अन्य योजनाओं की राशि का व्यय किया गया था। विदित हो कि नगर पंचायत मखदुमपुर द्वारा बी0 आर0 जी0 एफ0 मद की राशि का लेन–देन पी0 एन0 बी0, मखदुमपुर, खाता सं0 1615000100023906 एंव पी0 एन0 बी0, मखदुमपुर, खाता सं0 1615000100048516 से किया गया था।परन्तु कुछ योजनाओं में पी0 एल0 खाता एवं स्टेट बैंक ऑफ इंण्डिया, मखदुमपुर, खाता सं0 31689062598 से राशि व्यय किया गया है(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–III पर)।

ज्ञात हो कि उपर्युक्त दोनो खाता यथा – पी0 एल0 खाता एंव स्टेट बैंक ऑफ ईण्डिया, मखदुमपुर, खाता सं0 31689062598 में बी0 आर0 जी0 एफ0 मद की राशि जमा नहीं करायी गयी थी। इन दोनो खातों में 12 वीं, 13 वीं, मैचिंग ग्रांट, जन प्रतिनिधि भत्ता, पथ जिर्णोद्वार, निकाय निधि आदि की राशि जमा की गई थी रोकड़ बही से यह ज्ञात नही हो सका कि किन परिस्थितियों में उपर्युक्त राशि का विचलन किया गया एवं किस निधि से विचलन किया गया।

लेखा परीक्षा आपत्तियों के जबाव मे नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि ₹2153590/– पूर्व में बी0 आर0 जी0 मद से 13 वीं एवं 12 वीं वित्त मद की योजनाओं में व्यय किया गया था। पुनः इसी राशि को 13 वीं एवं 12 वीं वित्त मद से बी0 आर0 जी0 मद की योजना में क्षतिपूर्ति की गयी। भविष्य में निधि विचलन से परहेज किया जायेगा।

उपर्युक्त निधि विचलन एंव उसके प्रतिपूर्ति से संबंधित दस्तावेज अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय। तब तक राशि ₹2153590/– लेखापरीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है तथा नगर पंचायत प्रशासन को यह सलाह दी जाती है कि निधि विचलन की प्रवृति को रोका जाये।

13.सैरातों की वन्दोबस्ती में अनियमिततायें–₹2.23 लाख

(क) वर्ष 2009–10

बन्दोबस्ती संचिका के जाँच में पाया गया कि दिनांक 20.05.09 को बोली गयी डाक में उच्चतम डाक वक्ता श्री विकाश शर्मा, पिता श्री मोहन शर्मा लडौआ,जहानाबाद को ₹15850/– में गुमटी ठेला बन्दोवस्ती एवं श्री सुशान्त कुमार, पिता श्री डोमन यादव, मखदुमपुर को ₹75900/– में सब्जी बाजार का बन्दोवस्ती वर्ष 2009–10 (दिनांक 20.05.09 से दिनांक 31.03.10) के लिए किया गया। श्री मोहन शर्मा द्वारा डाक की पुरी राशि जमा किया गया परन्तु श्री सुशान्त कुमार द्वारा डाक की कुल राशि का 80 प्रतिशत यानि ₹60720/– एम0 आर0 सं0 01/01.06.09 से जमा किया गया ,परन्तु शेष राशि ₹15180/– जमा नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा आपत्तियाँ :–

1. दिनांक 01.04.09 से दिनांक 19.05.09 तक वसूली नहीं किये जाने का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।
2. बन्दोबस्तदार द्वारा जमा की गई राशि का नगर पंचायत निधि में जमा नहीं दिखाया गया।
3. बन्दोबस्तदार श्री विकाश शर्मा से ₹475.50/–(15850 का 3 प्रतिशत) एवं श्री सुशान्त कुमार से ₹2277/–(75900 का 3 प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क की राशि की वसुली नहीं की गई थी ।
4. बन्दोबस्तदार श्री सुशान्त कुमार द्वारा नहीं जमा किया गया राशि ₹15180/– वसूलकर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।

उपर्युक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के जबाव में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि :–

1. दिनांक 01.04.09 से दिनांक 19.05.09 तक विभागीय वसूली नहीं की गयी थी।
2. बन्दोबस्तदार द्वारा जमा किया गया राशि नगर पंचायत निधि में जमा कर अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा।
3. स्टाम्प शुल्क की राशि बन्दोबस्तदारों से वसूली की जायेगी।
4. शेष राशि ₹15180/–बन्दोबस्तदार से वसूलने की कार्रवाई की जा रही है।

अतः राशि ₹17932.00(15180+475.50+2277) को संबंधित/जिम्मेवार व्यक्ति(यों) से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय। साथ ही बन्दोवस्तदार द्वारा जमा की गई राशि नगर पंचायत निधि में जमा अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय। इसके अलावे दिनांक 01.04.09 से दिनांक 19.05.09 तक विभागीय वसूली नहीं किये जाने के संबंध में भी अगले लेखा परीक्षा में बताया जाय।

(ख) वर्ष 2010–11

बन्दोवस्ती संचिका के जाँच में पाया गया कि दिनांक 20.03.10 को बोली गयी डाक में उच्चतम डाक बक्ता श्री गाँधी यादव, पिता श्री कपिलदेव यादव, फतेहपुर ,जहानाबाद को ₹18260/– में गुमटी ठेला बन्दोबस्ती एवं ₹137125/– में शब्जी बाजार का बन्दोबस्ती वर्ष 2010–11 के लिए किया गया।

कार्यपालक पदा0, नगर पंचायत मखदुमपुर, के पत्रांक 399 दिनांक 08.06.10 के अनुसार श्री गाँधी यादव पर बकाया राशि निम्न थीः–

विवरण	राशि (₹)
सब्जी बाजार की बन्दोबस्ती राशि	137125
मुद्रांक शुल्क	4113.75
निबंधन शुल्क	5465
गुमटी ठेला बन्दोबस्ती राशि	18260
मुद्रांक शुल्क	547
निबंधन शुल्क	730
कुल	166260.75
जमानत जमा	60730
शेष बकाया राशि	105530.75

उपर्युक्त बकाया राशि जमा करने हेतु बन्दोबस्दार को आदेश दिया गया। बकाया राशि नहीं जमा करने पर बन्दोबस्ती रद्द करने की भी चेतावनी दी गयी। पुनः कार्यपालक पदा0, नगर पंचायत मखदुमपुर, के पत्रांक 03 दिनांक 07.01.12 के माध्यम से शेष बकाया राशि ₹105530.75 (166260. 75–60730) एक सप्ताह के अन्दर उन्हें जमा करने का निर्देश दिया गया।

लेखा परीक्षा आपत्तियाँ :–

1. शेष वकाया राशि ₹105530.75 को बन्दोबस्तदार से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय तथा अगले लेखा परीक्षा में जमा से संबंधित साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जाये।
2. जमा बतायी गयी राशि को नगर पंचायत निधि में जमा अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।
3. एकरारनामा अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

114)

उपर्युक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के जवाब में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि :–

1. शेष वकाया राशि ₹105530.75 बन्दोबस्तदार से वसूलने की कार्रवाई की जा रही है।
2. जमा बतायी गयी राशि को नगर पंचायत निधि में जमा अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जायेगा।
3. एकरारनामा अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा।

अतः **शेष राशि ₹105530.75 बन्दोबस्तदार से वसूल कर नगर पंचायन निधि में जमा किया जाय।** साथ ही बन्दोबस्तदार द्वारा जमा की गई राशि नगर पंचायत निधि में जमा एवं एकरारनामा अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

(ग) <u>वर्ष 2011–12</u>

बन्दोबस्ती संचिका के जाँच में पाया गया कि बोली गयी डाक में उच्चतम डाक वक्ता श्री सुशान्त कुमार, पिता श्री डोमन यादव, मखदुमपुर ,जहानाबाद को ₹20450/– में गुमटी ठेला बन्दोबस्ती एवं ₹151137/– में सब्जी बाजार का बन्दोबस्ती वर्ष 2011–12 के लिए किया गया। कार्यपालक पदा0, नगर पंचायत मखदुमपुर, के पत्रांक 02 एवं 08 दिनांक 07.01.12 द्वारा बन्दोबस्तदार को शेष बकाया राशि ₹94469/–(151137+20450 –77118) जमा करने हेतु निर्देश दिया गया।

लेखा परीक्षा आपत्तियाँ :–

1. शेष वकाया राशि ₹94469/– बन्दोबस्तदार से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।
2. जमा बतायी गयी राशि को अगले लेखा परीक्षा में नगर पंचायत निधि में जमा दिखाया जाय।
3. एकरारनामा अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।
4. स्टाम्प शुल्क की राशि ₹5147/–(151137+20450=171587 का 3 प्रतिशत) वन्दोवस्तदार से वसूल कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

उपर्युक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के जवाब में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि :–

1. शेष बकाया राशि ₹94469/– बन्दोबस्तदार से वसूलने की कार्रवाई की जा रही है।

2. जमा बतायी गयी राशि को नगर पंचायत निधि में जमा अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जायेगा।

3. एकरारनामा अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा।

4. स्टाम्प शुल्क की राशि ₹5147/–बन्दोबस्तदार से वसूली जायेगी।

अतः ₹99616.00(94469+5147) को बन्दोबस्तदार से वसूल कर नगर पंचायन निधि में जमा किया जाय। साथ ही बन्दोबस्तदार द्वारा जमा की गई राशि नगर पंचायत निधि में जमा एवं एकरारनामा अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

अतः कुल ₹223078.75 की वसूली संबंधित/जिम्मेवार व्यक्ति(यों) से की जाय तथा जमा से संबंधित दस्तावेज अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

14.वाहन प्रवेश बन्दोबस्ती में अनियमिततायें–₹2.33 लाख

(क) वर्ष 2010–11

नगर पंचायत मखदुमपुर क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ को छोड़कर अन्य पथ से प्रवेश करने वाली वाहनों से प्रवेश शुल्क लिया गया था। दिनांक 30.06.10 से दिनांक 31.03.11 तक के लिए बन्दोबस्ती, उच्चतम डाक वक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार पिता श्री वाल्मिकी शर्मा, पलेया जहानाबाद को मो0 ₹520209/– में दिया गया। कार्यपालक पदा0, नगर परिषद् मखदुमपुर, के पत्रांक 133 दिनांक 23.02.11 के अनुसार श्री कुमार द्वारा ₹520209/– के विरूद्ध ₹510209/– जमा किया गया ,शेष राशि ₹10000/– जमा नहीं किया जा सका ।

लेखा परीक्षा आपत्तियाँ :–

1. 30.06.10 से पहले वाहन प्रवेश शुल्क की विभागीय वसूली की क्या स्थिति थी यह लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया, अतः इसे अगले लेखा परीक्षा में स्पष्ट किया जाये।

2. बन्दोबस्तदार द्वारा जमा किया गया ₹510209/– नगर पंचायत निधि में जमा नहीं दिखाया गया।

3. शेष राशि ₹10000/– वन्दोवस्तदार से वसूल कर नगर पंचायन निधि में जमा किया जाय।

112

उपर्युक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के जवाब में नगर पंचायत द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः दिनांक 30.06.10 से पहले वाहन प्रवेश शुल्क की स्थिति को बताते हुए ₹510209/– नगर पंचायत निधि में जमा अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय तथा राशि ₹10000/– बन्दोबस्तदार से वसूल कर नगर पंचायन निधि में जमा किया जाय ।

(ख) वर्ष 2011–12

दिनांक 31.03.11 को बोली गयी डाक में उच्चतम डाक वक्ता श्री रीतेश कुमार, पिता श्री देवेन्द्र नाथ सिंह, पलेया जहानाबाद को वर्ष 2011–12 के लिए ₹746408/– में वाहन प्रवेश बन्दोबस्ती किया गया। कार्यपालक पदा0, नगर परिषद् मखदुमपुर, के पत्रांक 01 दिनांक 07.01.12 के अनुसार श्री कुमार द्वारा ₹746408/– के विरूद्ध ₹523500/– जमा किया गया ,शेष राशि ₹222908/– जमा नहीं किया गया । शेष राशि जमा करने हेतु बन्दोबस्तदार को आदेश दिया गया। पुनः पत्रांक 10 दिनांक 17.01.12 द्वारा बन्दोबस्तदार को सूचित किया गया कि उनके द्वारा ₹222908/– का जमा किया गया चेक (चेक सं0 756168, स्टेट बैंक ऑफ ईंडिया, मखदुमपुर) वाउन्स कर गया है। साथ ही उपर्युक्त राशि जमा करने हेतु उन्हें निर्देश दिया गया ।

लेखा परीक्षा आपत्तियाँ :–

1. बन्दोबस्तदार द्वारा जमा किया गया ₹523500/– नगर पंचायत निधि में जमा नहीं दिखाया गया।
2. बन्दोबस्तदार द्वारा जमा किया गया चेक वाउन्स होने पर उसपर किये गये कार्रवाही का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. शेष राशि ₹222908/– बन्दोबस्तदार से वसूल कर नगर पंचायन निधि में जमा किया जाय।

उपर्युक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के जवाब में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि :–

1. बन्दोबस्तदार द्वारा जमा किया गया ₹523500/– नगर पंचायत निधि में जमा अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा।
2. बन्दोबस्तदार द्वारा जमा किया गया चेक वाउन्स होने पर उसपर नोटिस जारी किया गया है।
3. शेष राशि ₹222908/– बन्दोबस्तदार से वसूलने की कार्यवाई की जा रही है।

   शेष राशि ₹222908/– बन्दोबस्तदार से वसूल कर नगर पंचायन निधि में जमा किया जाय। साथ ही बन्दोबस्तदार द्वारा जमा किया गया ₹523500/– नगर पंचायत निधि में जमा अगले लेखा परीक्षा में दिखा दिया जायेगा।

   अतः कुल राशि ₹232908.00(10000+222908) को संबंधित/जिम्मेवार व्यक्ति(यों) से वसूल किया जाये तथा जमा से संबंधित दस्तावेज अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

15. मकान कर का पुनर्निर्धारण नहीं किये जाने के कारण राजस्व हानि

मकान कर वसूली के जाँच के क्रम में पाया गया कि गृह स्वामियों से मकान कर के रूप में मात्र 25रू0 तथा 30 रू0 की वसूली की गयी तथा शिक्षा कर एवं स्वास्थ्य कर की वसूली नहीं की गयी। मकान कर से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप गृह स्वामियों पर कुल मकान कर का सही–सही पता नहीं चल सका।

लेखा परीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि कर निर्धारण नहीं किये जाने के कारण एक निर्धारित राशि गृहस्वामियों से वसूली जा रही थी। कर निर्धारण नहीं किये जाने से नगर पंचायत को राजस्व की हानि हो रही थी।

अतः मकान कर का पुनर्निर्धारण किया जाय एवं मकान कर के साथ शिक्षा कर एवं स्वास्थ्य कर की भी वसूली की जाय। इनके अलावे मकान कर से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

16.दैनिक वसूली पंजी/स्टॉक रजिस्टर का संधारण/विहित संधारण नहीं किया जाना

नगर पंचायत मखदुमपुर में दैनिक वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया, परिणामस्वरूप कर संग्राहकों द्वारा वसूल की गयी कुल राशि एवं उनकी जमा का सही – सही पता नहीं चल सका।

रसीदों से संबंधित स्टॉक रजिस्टर के जाँच में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी :–

1. रसीद निर्गत करते समय अवशेष रसीदों की संख्या अंकित नहीं की गई।
2. स्टॉक रजिस्टर में रसीद सं0 अंकित न कर Vol^{m} सं0 अंकित किया गया था।

उपर्युक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः स्टॉक रजिस्टर की त्रुटियों को सुधार कर एवं दैनिक वसूली पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

17.कम जमा/नहीं जमा–₹0.24 लाख

(क) भवन कर से संबंधित 'एच' रसीद से वसूल की गयी राशि के जाँच में पाया गया कि मो0 अनवर अंसारी, कर दारोगा द्वारा कुल ₹42793/– वसूल किया गया, परन्तु उनके द्वारा सिर्फ ₹24853/– जमा किया गया। शेष राशि ₹17940 नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया। संबंधित विवरण निम्नलिखित है :–

<table>
<tr><th>कम सं0</th><th>रसीद सं0</th><th>दिनांक (₹)</th><th>वसूली गयी राशि (₹)</th><th>जमा की गयी राशि (₹)</th><th>कम जमा की गयी राशि (₹)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>201-800</td><td>17.12.09 - 8.5.10</td><td>14223</td><td rowspan="2">6448 (17.2.11)
18405 (31.03.11)</td><td rowspan="2">395</td></tr>
<tr><td>2</td><td>801-1100
1401-1500</td><td>9.5.10-24.01.11</td><td>11025</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1901-2000</td><td>24.01.11-15.06.11</td><td>2855</td><td>-</td><td>2855</td></tr>
<tr><td>4</td><td>5501-5600</td><td>22.06.11-02.07.11</td><td>3560</td><td>-</td><td>3560</td></tr>
<tr><td>5</td><td>6701-6800</td><td>28.06.11-02.07.11</td><td>4795</td><td>-</td><td>4795</td></tr>
<tr><td>6</td><td>6901-7000</td><td>29.06.11-</td><td>4720</td><td>-</td><td>4720</td></tr>
</table>

109

		16.07.11			
7	1101-1155	26.08.10-27.0.10	1615	-	1615
		कुल योग	42793	24853	17940

उपर्युक्त कम जमा राशि ₹ 17940/– लेखा परीक्षा के दौरान मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, मखदुमपुर के खाता सं0 1403 में दिनांक 20.10.12 को जमा किया गया।

अतः जमा की गयी राशि का बैंक पास बुक में जमा अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

(ख) भवन कर से संबंधित एच रसीद से वसूल की गयी राशि के जाँच में पाया गया कि श्री संजय कुमार सिंह, कर दारोगा द्वारा रसीद सं0 6401 से 6500 तक दिनांक 31.06.11 से 02.07.12 तक की अवधि में कुल ₹3565/– वसूल किया गया, परन्तु उसे जमा नहीं किया गया।

उपर्युक्त राशि को लेखा परीक्षा के दौरान मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, मखदुमपुर के खाता सं0 1403 में दिनांक 25.10.12 को जमा किया गया।

अतः जमा की गयी राशि का बैंक पास बुक में जमा अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

(ग) जमा लेखे के जाँच के कम में पाया गया कि एच रसीद से भवन कर की वसूली विभिन्न कर संग्राहक द्वारा की गयी तथा वसूली गयी कुल राशि ₹284263/– को नगर पंचायत कोष में जमा करने के लिए श्री राजा राम प्रसाद, प्रधान सहायक को दिया गया। परन्तु श्री प्रसाद द्वारा उनमें से ₹260633/– जमा किया गया तथा शेष ₹23630/–नगर पंचायत कोष में जमा नहीं किया गया (विस्तृत विवरण परिशिष्ट–IV पर)।

लेखा परीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि शेष राशि वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा किया जायेगा।

अतः शेष राशि ₹23630/–वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा किया जाय।

18. मोबाइल टावरों पर बकाया राशि–₹8.78 लाख

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक–08.10.12 के अनुसार नगर पंचायत स्थित टेलीफोन टावरों से ₹30000/–Registration fee एवं ₹8000/– वार्षिक renewal fee वसूल करना है। इनके अलावे टावर पर लगे प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना के लिए Registration fee एवं वार्षिक renewal fee का 60 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

नगर पंचायत, मखदुमपुर द्वारा टेलीफोन टावर से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप नगर परिषद् जहानाबाद में स्थित कुल टलीफोन टावरों की संख्या एवं उसपर कुल बकाया राशि का सही – सही पता नहीं लगाया जा सका। यद्यपि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत सूची के अनुसार कुल 8 टावर एंव 7 अतिरिक्त एंटिना पर दिनांक 31.03.12 तक कुल ₹878000/– Registration fee एवं वार्षिक renewal fee बकाया था (विस्तृत विवरण परिशिष्ट–V पर)

लेखा परीक्षा आपत्ति के जवाब में बताया गया कि सभी टेलीफोन टावर मालिकों से बकाया राशि वसूलने की कार्रवाई की जा रही है।

अतः उपर्यक्त बकाया राशि ₹878000/– टेलीफोन टावर मालिकों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।

19. लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रसीद

लेखा परीक्षा के दौरान कुल 11 एच रसीद एंव 6 विविध रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–VI पर)

लेखा परीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि अप्रस्तुत रसीद अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की जायेगी।

रसीदों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से वसूले गए करों/राशि के गबन/दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रस्तुत रसीदों से संग्रहित राशि का नगर पंचायत निधि में जमा कार्यपालक पदाधिकारी सुनिश्चित करें एवं लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित करें।

20.कार्य की धीमी प्रगति

योजना सं0 :– 02/11–12

मद :– नागरिक सुविधा।

योजना का नामः– वार्ड सं0 6 लडौआ में एफ0 सी0 आई0 गोदाम के निकट तालाब का सौंदर्यीकरण।

प्राक्कलित राशि :– ₹3000000/–

संवेदक का नाम :– मे0 बैजनाथ निर्माण लिमिटेड, जहानाबाद।

कार्यादेश की तिथि :– 29.02.12

योजना पूर्ण करने की अवधिः– छः माह।

मापी पुस्त की राशि :– ₹1315328/–

भुगतान की राशि :–₹1315328/–

लेखा परीक्षा आपत्ति

योजना का कार्य कार्यादेश के छः माह के भीतर पूर्ण कर लेना था परंतु संवेदक द्वारा कार्यावधि के दो माह बिलंब होने के उपरांत भी प्राक्कलित राशि₹3000000/–के विरूद्ध केवल ₹1315328/– का कार्य किया गया। संवेदक द्वारा कार्यावधि की बढ़ोतरी के लिए कोई आवेदन संचिका में संलग्न नहीं था।

इस प्रकार संवेदक ठेके के शर्तानुसार प्राक्कलित राशि का दस प्रतिशत क्षतिपूर्ति का देनदार था।

लेखा परीक्षा आपत्ति के अनुपालन में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि बरसात में पानी भर जाने के कारण कार्य पूर्ण होने में विलंब हुआ। इस संबंध में संवेदक द्वारा समय विस्तार के आवेदन दिया गया था, जिसकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

अतः योजना को यथाशीघ्र पूरा कराने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाये तथा समय विस्तार स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में नियमानुकूल विलम्ब शुल्क की कटौती की जाये।

21. बिलम्ब निष्पादित कार्यों पर क्षतिपूर्ति राशि का वसूल नहीं किया जाना–₹3.98 लाख

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि परिशिष्ट में वर्णित योजनाओं को निर्धारित अवधि में पुर्ण नहीं किया जा सका था,परन्तु नगर पंचायत द्वारा विलम्ब निष्पादित कार्यों पर संवेदकों से क्षतिपूर्ति राशि वसूल नहीं किया गया। ध्यातव्य हो कि इन योजनाओं में समय विस्तार की अनुमति नहीं माँगी गयी थी(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–VII पर)।

लेखा परीक्षा आपत्ति के जवाब में बताया गया कि सभी संवेदकों से क्षतिपूर्ति राशि वसूलकर संबंधित निधि में जमा की जायेगी।

अतः क्षतिपूर्ति की राशि ₹398480/– संवेदकों से वसूल कर संबंधित निधि में जमा किया जाय। इसके अलावे बिना अनुमति के अन्य विलंब निष्पादित योजनाओं में भी क्षतिपूर्ति राशि वसूली जाय।

22.एकल बेड, ड्रेसिंग टेबल एवं अन्य सामाग्रियों के कय पर कुल ₹550000/– का संदिग्ध भुगतान

नगर पंचायत मखदुमपुर द्वारा वर्ष 2011 में मे0 प्रखर इंटरप्राइजेज, पटना को निम्नलिखित सामाग्री आपूर्ति करने का आदेश दिया :–

कम सं0	विवरण	मात्रा	राशि (₹)
1	लकड़ी कार्य/फीनिसिंग	914.25 घनफीट	319987
2	पार्टिशन कार्य	532 वर्गफीट	133000
3	विभिन्न प्रकार की कुर्सियाँ	57 अदद	135100
4	सोफा सेट	1 अदद	12000
5	सेंटर टेबल	1 अदद	6000
6	एकल बेड	1 अदद	16000
7	ड्रेसिगं टेबल	1 अदद	8000
		कुल योग	630087

प्रखर इंटरप्राइजेज, पटना द्वारा अगस्त 2011 में उपर्यूक्त सामग्रियों की आपूर्ति की गयी एवं अंतिम बिल दिया गया। नगर पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता को मई 2012 तक कुल ₹550000/– भुगतान किया गया।

105

लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

1. एकल बेड एंव ड्रेसिंग टेबल कुल मूल्य ₹24000/– (16000+8000), अनावश्यक क्रय किया गया।
2. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री की मात्रा एंव गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. आपूर्तिकर्ता को ₹630087/– के बिल के विरूद्ध मात्र ₹550000/– भुगतान किया गया।
4. सामग्रियों का इंद्राज भण्डार पंजी में नहीं किया गया।

<u>अनुपालन</u>

उपर्युक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के अनुपालन में नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित बिन्दुवार जवाब दिया गया :–

1. एकल बेड एंव ड्रेसिंग टेबल ग्राम पलेक्स भवन मखदुमपदर के लिए खरीदी गयी थी। ग्राम पलेक्स भवन में आर्थिक एवं सामाजिक गणना कार्य चलने के कारण सामग्री तत्काल कार्यालय भवन में रखी गयी है।

   एकल बेड एवं ड्रेसिंग टेबुल क्रय के उपरांत उपयोग नहीं किए गए।
2. आपूर्ति सामग्री का कार्यालय द्वारा मात्रा का सत्यापन किया गया था। परन्तु मात्रा एंव गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।
3. भण्डार पंजी का संधारण कर सामग्री का इन्द्राज कर लिया जायेगा।

अतः भण्डार पंजी का संधारण कर खरीदी गयी सामग्रियों का इन्द्राज कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय, तब तक सामग्री क्रय पर किया गया कुल व्यय ₹550000/– लेखा परीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

104)

23. संग्रहित राजस्व नगर निकाय निधि में जमा नहीं (₹ 18.37 लाख)

23.स्थायी सशक्त समिति के दिनांक 05.09.2009 के बैठक की कार्यवाही

नगर पंचायत, मखदुमपुर के दिनांक 05.09.2009 को सम्पन्न स्थायी सशक्त समिति की बैठक की कार्यवाही के अवलोकन से पता चला कि श्री संजय कुमार सिंह, टैक्स दारोगा द्वारा अनियमित तरीके से योजना की अग्रिम राशि एवं विभिन्न कर यथा :– मकान कर, खाद्यान लाईसेंस, खतरनाक व्यापार लाईसेंस से प्राप्त राशि कुल₹1836846/– नगर पंचायत के खाते में जमा नहीं कर अपने पास रखा गया।

इस संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा निम्नलिखित सूचना/अभिलेख माँगी गयी :–

1. नगर पंचायत, मखदुमपुर द्वारा दोषी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय एंव कानूनी कार्रवाई का विवरण।
2. अब तक संबंधित कर्मचारी द्वारा जमा की गयी राशि का विवरण।
3. ₹1836846/– का Detailed Break up
4. संबंधित संचिका/अभिलेख
5. नगर पंचायत, मखदुमपुर द्वारा की गयी अन्य कार्रवाई।
6. योजना की सूची जिसके लिए अग्रिम दी गयी परन्तु कार्य नहीं कराया गया।

इस संबंध में नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित जवाब दिया गया :–

1. दोषी कर्मचारी को निलंबन कर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
2. कर्मचारी द्वारा राशि जमा नहीं की गयी है, कुछ कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसका अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया है।
3. ₹1836846/– का Detailed Break up लेखा परीक्षा कार्यालय को भेज दी जायेगी।

अतः लेखा परीक्षा द्वारा माँगी गयी सूचना/अभिलेख अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

24. अग्रिम पंजी एवं भंडार पंजी का संधारण नहीं किया जाना

नगर पंचायत, मखदुमपुर द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किये जाने के कारण लेखा परीक्षा अवधि में नगर पंचायत कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा लिये गये अग्रिम तथा उनका समायोजन ज्ञात नहीं किया जा सका।

उसी प्रकार, नगर पंचायत, मखदुमपुर द्वारा विभिन्न प्रकार के सामग्रियों यथाः– मशीनरी, जे0सी0बी0 मशीन,ट्रैक्टर, कम्प्यूटर, फर्नीचर इत्यादि के लिये भण्डार पंजी का संधारण नहीं करने तथा भौतिक सत्यापन नहीं करने के कारण भण्डार में उपलब्ध सामग्रियों की वस्तुस्थिति को लेखा परीक्षा में ज्ञात नहीं किया जा सका।

लेखा परीक्षा आपत्ति के अनुपलान में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि अग्रिम पंजी एवं भण्डार पंजी का संधारण कर लिया जायेगा।

अतः अग्रिम पंजी एवं भण्डार पंजी का विहित संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

25. कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप

लेखा परीक्षा के दौरान एंव लेखा परीक्षा के समाप्ति पर प्रमुख बिन्दुओं पर कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप की गयी।

26.लेखा परीक्षा परीणाम

लेखा परीक्षा के निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए :–

1	लेखा परीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	₹21505/-
2	वसूली के लिए सुझायी गयी राशि	₹1756096.75
3	लेखा परीक्षा के अधीन रखी गयी राशि	₹2703590

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–VIII पर)